



मुख्यआवासाधिकारी कार्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

डॉ.एम.एल.शर्मा

मुख्यआवासाधिकारी (छात्र)

कार्यालय : 0141-2709165

क्रं.सं. मु.आ./2019/2149


दिनांक: 16/08/2019

आवश्यक सूचना

मुख्य आवासाधिकारी एवं छात्रावास केन्द्रीय प्रवेश समिति के बीच दिनांक 16.08.2019 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि छात्रावास के कुछ छात्रावासी पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाये है। इसलिए ऐसे छात्रावासी जो अपनी पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाये है उनको अंतिम अवसर दिनांक 19.08.2019 तक प्रदान किया जाता है। दिनांक 19.08.2019 तक यदि कोई छात्रावासी अपनी पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है तो समस्त जिम्मेदारी छात्रावासी स्वयं की होगी। शोध छात्रों के लिए पुनः प्रवेश साल में दो बार किये जाते है इसलिए सत्र की शुरुआत में उनको निम्नलिखित दस्तावेज के साथ अपना पुनः प्रवेश आवेदन पत्र जमा करवाना आवश्यक है-

1. पुनः प्रवेश आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित
2. रजिस्ट्रेशन पत्र
3. आवश्यक राशि की डी.डी.(सत्र 2019-20 के अनुसार)
4. एन्टी रैगिंग शपथ पत्र


जिन छात्रावासियों ने उक्त दस्तावेजों की पूर्ति नहीं की है उनको दिनांक 19.08.2019 तक पुनः प्रवेश के आवेदन करने एवं दस्तावेजों की पूर्ति करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है।


डॉ. रामेश्वर जाट

संयोजक


डॉ. आर. एस. चौहान

सदस्य


डॉ. करतार सिंह

सदस्य